वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये)

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा 132 के.व्ही. कोण्डागांव – नारायणपुर पारेषण लाईन का निर्माण किया जाना है। उक्त लाईन कोण्डागांव – नारायणपुर राजमार्ग के दोनों किनारों से प्रस्तावित है। लाईन के निर्माण कार्य के लिए (दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल में 27. 627 हे. एवं नारायणपुर वनमंडल में 10.247 हे.) कुल रकबा 37.874 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।
	i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ
	ii.	जिला	नारायणपुर
	iii.	वन प्रभाग	नारायणपुर वनमंडल नारायणपुर, वेनूर परिक्षेत्र
	iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	10.247 हेक्टेयर
	v.	वन की कानूनी स्थिति	
		(क) सीमांकित संरक्षित वन PF2313(D),PF2325, PF2324A,PF2330,PF2314	5.118 हेक्टेयर
		(ख) सीमांकित आरक्षित वन	–
		(ग) असीमांकित संरक्षित वन	–
		(घ) राजस्व वनक्षेत्र	5.129 हेक्टेयर
		योग :–	10.247 हेक्टेयर
	vi.	हरियाली का घनत्व	
	vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. –2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	संलग्न
	viii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवेदित वनभूमि वन भूमि वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है, जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण

			की संभावना नहीं है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना हेतु दिया जा सकता है। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
	ix.	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमाति दूरी,	वन सीमा से लगा हुआ (मानचित्र संलग्न)
	x.	क्यों फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबंधित की जाए)	नहीं है
	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है, यदि हॉ/तो तत्संबंधी ब्योरा	नहीं
	xii.	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो सत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि उपेक्षित हो	132 के.व्ही. कोण्डागांव – नारायणपुर पारेषण लाईन के निर्माण हेतु नारायणपुर वनमंडल के आवेदित वन भूमि के अंतर्गत कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नही है।
8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रामण पत्र के साथ यदि उपेक्षित हो दे।	प्रस्तावित वनभूमि परयोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हॉ/ नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं
10	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इनकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये व्यापवर्तन हेतु प्रस्तावित 37.874 हे. वनभूमि के बदले दोगुने अवक्रमित वनक्षेत्र (Degrated Forest) अर्थात 75.748 हे. अथवा 76.00 हे. में वृक्षारोपण हेतु वेनूर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 2319/P कुल रकबा 155.253 हे. में से 76.00 हे. रकबा अभिनिर्धारित किया गया है प्रस्तावित कक्ष में विरल एवं रिक्त क्षेत्र में उच्च तकनीक सिंचित वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न कराकर क्षेत्र को वनाच्छादित करने हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित है।
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास	संलग्न है

		के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	
	iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि ।	संलग्न है
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय पिरव्यय।	संलग्न है
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपयुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ नहीं पाई जाती है न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक सस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है
12		विभाग/जिला प्रोफाईल	नारायणपुर वनमंडल क्षेत्र
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3165.882 वर्ग कि.मी.
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	
		आरक्षित वन	75856.850 हे.
		संरक्षित वन	28089.870 हे.
		असीमांकित वन	10921.920 हे.
	iii.	ममलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर पयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	प्रकरण -05 रकबा- 925.02 हे.
	iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक	—
		क. दण्ड के रूप मे प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	—
		ख. वनेत्तर भूमि पर।	—
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	—
		क. वनभूमि ।	—
		ख. वनेत्तर भूमि पर	—
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित 132 के.व्ही. कोण्डागांव – नारायणपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण होने से बस्तर संभाग के कोण्डागांव एवं नारायणपुर जिले में बिना रूकावट गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी। इस परियोजना से

			आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मे कृषि एवं औद्योगिक विकास होने से रोजगार होने की पूरी संभावना है। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हेतु नारायणपुर वन मंडल में 10.247 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है।

दिनांक :–

स्थान :–

उपवनमण्डलाधिकारी
दक्षिण नारायणपुर उपवनमण्डल

एस.पी. पैंकरा
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
नारायणपुर वन मंडल
नारायणपुर (छ.ग.)

वनमंडलाधिकारी
नारायणपुर वन मण्डल नारायणपुर